तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./3250/2006/डूँगरपुर** **सरकार बनाम विनोद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सूरजभान जैमन, सदस्य

उपस्थित–

श्री सुनील गर्ग, राजकीय उप अधिवक्ता
अप्रार्थी उपस्थित नहीं, इकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 1.08.2018

हस्तगत रेफरेन्स धारा 82, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विद्वान जिला कलक्टर, डूँगरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 48/2005 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 1–03–2006 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को अभिशंषित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, डूँगरपुर ने धारा 82, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विद्वान जिला कलक्टर, डूँगरपुर को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी स्थित ग्राम खजूरी, तहसील व जिला डूँगरपुर गत भू प्रबन्ध में खसरा नम्बर 1085 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा की किस्म **गै0मु0 नाला** अंकित रही है। आवंटन/नियमन सलाहकार समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि का आवंटन दाजिया पि0 मना मीणा के पक्ष में दिनांक 15–11–1977 को किया है और इसके आधार पर नामांतरकरण संख्या 112 दर्ज हुआ है और नवीन नम्बर 1611/1085 कायम किया गया है। गै0मु0 नदी, नाले, झील, बॉध–तालाब, नाडी, जल प्रवाह, जल मग्न भूमि धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में भूमि की किस्म पूर्व अनुसार अंकित करने के निर्देश प्रदान किये हैं। विद्वान जिला कलक्टर, डूँगरपुर द्वारा द्वारा अनुशंषित कार्यवाही से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और प्रश्नगत आराजी के आवंटन आदेश को निरस्त कर आराजी को पूर्ववत अंकित करने की राय के साथ हस्तगत रेफरेंस मण्डल को अभिशंषित किया गया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया, अप्रार्थीगण की ओर से बाबजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं। प्रार्थी पक्ष के योग्य राजकीय उप अभिभाषक की बहस सुनी।

विद्वान राजकीय उप अधिवक्ता प्रार्थी ने रेफरेन्स के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 नदी, नाले,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./3250/2006/डूँगरपुर** **सरकार बनाम विनोद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

झील, बॉध–तालाब, नाडी, जल प्रवाह, जल मग्न भूमि दर्ज रिकार्ड थी। उक्त आराजी को अविधिक रुप से किस्म परिवर्तित कर अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन कर खातेदारी में अंकित किया गया है। ये समस्त अंकन विधि विरुद्ध किये गये हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि किस्म गै0मु0 नदी–नाले की भूमि है और धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निर्देश प्रदान किये हैं जिसके अनुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः विद्वान जिला कलक्टर द्वारा अभिशंषित रेफरेन्स प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में है जिसे स्वीकार किया जाये।

अप्रार्थी पक्ष की ओर से बाबजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं है।

बहस पर मनन किया एवं जिला कलक्टर, डूँगरपुर द्वारा द्वारा अनुशंषित कार्यवाही का अध्ययन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1085 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जमाबंदी सम्वत् 2033–36 में बिला नाम नदिया व नाले की भूमि अंकित है और इसमें लगे नोट के अनुसार नाला इं0नं0 112 के द्वारा 1 बीघा 10 बिस्वा आवंटन हुआ, अंकित किया गया है। नामांतरकरण संख्या 112 के द्वारा खसरा नम्बर 1085 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन दानिया पि0 मना मीणा के पक्ष में गैर खातेदारी का अंकन किया गया है। जमाबंदी सम्वत् 2050–53 में खसरा नम्बर 1085 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा दानाराम पि0 मना के खातेदारी में अंकित किया गया है। नामांतरकरण संख्या 305 दानाराम के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम होने का नोट भी इस जमाबंदी में लगा हुआ है। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार ‘‘गैर मुमकिन नदी–नाला’’ किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः–

> **“4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-
> (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955"

इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./3250/2006/डूँगरपुर** **सरकार बनाम विनोद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-

Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-

Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

प्रश्नगत भूमि पूर्व में गै0मु0 नदी–नाले, तालबे की भूमि अंकित होने से धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः–

All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly.

उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में विद्वान जिला कलक्टर द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की भूल नहीं है। रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है।

फलतः उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप जिला कलक्टर, डूँगरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 48/2005 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 1–03–2006 से मण्डल को अभिशंषित किया गया हस्तगत रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। आराजी स्थित **ग्राम खजूरी, तहसील व जिला डूँगरपुर** खसरा नम्बर 1085 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के सम्बन्ध में खातेदारी इन्द्राज बहक अप्रार्थीगण को निरस्त करने व आराजी को पूर्ववत उसके मूल स्वरुप किस्म **"गै0मु0 नाला"** राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सूरजभान जैमन)
सदस्य